न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा आई0ए0एस0.

प्रकरण संख्या –115/2019 (Bank Case)

आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड जिसका कार्यालय– तृतीय तल, जी एस ई एल बिल्डिंग, मालवीय नगर, जयपुर–302017 में स्थित है, जिसके प्राधिकृत अधिकारी श्री आशीष भहनोत है

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. मैसर्स सेठी ट्रेडिंग कम्पनी, जरिये पार्टनर्स श्री कृष्ण कुमार सेठी, श्री नरेश कुमार सेठी, (ऋणी)
   (1) दुकान नं0 4, सेठ भानाशाह कृषि उपज मण्डी कोटा–324005, राज0
   (2) एस.एफ.यूनिट गायत्री धाम–1, प्लॉट नं0 409, करधनी योजना, गोविंदपुरा, कालवाड रोड, जयपुर–राज0
   (3) प्लॉट नं0 4 दुकान कृषि उपज मंडी अनंतपुरा, कोटा–राज0
   (4) फ्लैट नं0 2–डीए–24, ब्लॉक नं0 2, डीए केशवपुरा स्कीम, टीचर्स कॉलोनी, कोटा राज0
2. श्रीमति प्रेम देवी गुप्ता
   1. मकान नं0–2–डीए–24, टीचर्स कॉलोनी, केशवपुरा कोटा–324005
   2. एस.एफ यूनिट गायत्री धाम–1, प्लॉट नं0 409, करधनी योजना गोविंदपुरा कालवाड रोड जयपुर राज0
   3. प्लॉट नं0 4, दुकान कृषि उपज मंडी अनंतपुरा, कोटा राज0
   4. फ्लैट नं0 –2–डीए–24, ब्लॉक नं0 2 डीए केशवपुरा स्कीम, टीचर्स कॉलोनी, कोटा राज0
3. श्री कृष्ण कुमार सेठी (बंधककर्ता)
   1. मकान नं0–2–डीए–24, टीचर्स कॉलोनी, केशवपुरा कोटा–324005
   2. एस.एफ यूनिट गायत्री धाम–1, प्लॉट नं0 409; करधनी योजना गोविंदपुरा कालवाड रोड जयपुर राज0
   3. प्लॉट नं0 4, दुकान कृषि उपज मंडी अनंतपुरा, कोटा राज0
   4. फ्लैट नं0 –2–डीए–24, ब्लॉक नं0 2 डीए केशवपुरा स्कीम, टीचर्स कॉलोनी, कोटा राज0

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरिटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

जिला कलेक्टर

कोटा

Scanned by CamScanner

आदेश

दिनांक: 05.11.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड जिसका कार्यालय– तृतीय तल, जी एस ई एल बिल्डिंग, मालवीय नगर, जयपुर–302017 में स्थित है,** से अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 17.09.2018 को रूपये 1,74,00,000/–(अक्षरे: रूपये एक करोड़, चौहत्तर लाख मात्र) खाता संख्या (687405600197) के अन्तर्गत ऋण लिया था अप्रार्थी सं0 2 व 3 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति प्लॉट नं0 4, सेठ भामाशाह कृषि उपज मंडी, अनंतपुरा, कोटा में स्थित है जो कि मैसर्स सेठी ट्रेडिंग कम्पनी जरिये पार्टनर्स श्री कृष्ण कुमार सेठी, श्री नरेश कुमार सेठी के नाम से है,जिसका पट्टा विलेख दिनांक 13.2.2005 को सचिव कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा जारी किया गया है जिसका पंजीयन दिनांक14.12.2005 को उप पंजीयक कोटा द्वारा किया गया है एवं मकान नं0 2 डीए–24, ब्लॉक नं0 2 डीए केशवपुरा स्कीम, टीचर्स कॉलोनी, कोटा में स्थित है जो रजिस्टर्ड रिलीजडीड दिनांक 17.9.2012. से श्रीमति प्रेम देवी गुप्ता पत्नि स्व0 श्री गोपीचन्द सेठी के नाम से है** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाता संख्या (687405600197) को दिनांक. 01.03.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खाते मे बकाया राशि 1,84,96,574/– (अक्षरे रूपये एक करोड़, चौरांसी लाख, छिन्नवें हजार, पांच सौ चौहत्तर मात्र) बकाया रकम दिनांक 30.05.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 25.06.2019 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का अंग्रेजी अखबार दी इंडियन एक्सप्रेस में व हिन्दी समाचार पत्र प्रातःकाल में दिनांक 17.8. 2019 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 25.06.2019 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का अंग्रेजी अखबार दी इंडियन एक्सप्रेस में व हिन्दी समाचार पत्र प्रातःकाल में दिनांक 17.8.2019 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्र्तगत दिनांक 25.06.2019 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का अंग्रेजी अखबार दी इंडियन एक्सप्रेस में व हिन्दी समाचार पत्र प्रातःकाल में दिनांक 17.8.2019 को प्रकाशन भी कराया इसके

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

बावजूद भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति प्लॉट नं0 4, सेठ भामाशाह कृषि उपज मंडी, अनंतपुरा, कोटा में स्थित है जो कि मैसर्स सेठी ट्रेडिंग कम्पनी जरिये पार्टनर्स श्री कृष्ण कुमार सेठी, श्री नरेश कुमार सेठी के नाम से है,जिसका पट्टा विलेख दिनांक 13.2.2005 को सचिव कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा जारी किया गया है जिसका पंजीयन दिनांक14.12.2005 को उप पंजीयक कोटा द्वारा किया गया है एवं मकान नं0 2 डीए–24, ब्लॉक नं0 2 डीए केशवपुरा स्कीम, टीचर्स कॉलोनी, कोटा में स्थित है जो रजिस्टर्ड रिलीजडीड दिनांक 17.9.2012 से श्रीमति प्रेम देवी गुप्ता पत्नि स्व0 श्री गोपीचन्द सेठी के नाम से है को** भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 05.11.2019 को सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner